



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4630]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4630]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

का.आ. 5852(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **मैसर्स थालसेमिया एंड सिकल सेल सोसायटी, (पैन: AAATT4038K)** नामक संगठन को **निर्धारण वर्ष 2018-19 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े **“वैज्ञानिक अनुसंधान संघ”** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः—

- (i) अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ का एक मात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा।
 - (ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
 - (iii) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में **अलग लेखा बहियां** रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण, में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
 - (iv) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा, ऐसे दान का उपयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और उपयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:—
- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा
 - (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 84/2018/फा. सं. 203/27/2017-आ.क.नि.-II]

रोहित गर्ग, निदेशक